भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *168

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में कैंसरजनक तत्वों के अत्यधिक स्तर का खतरा

***168. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:**
श्री सुखदेव भगत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा डेयरी उत्पादों, मसालों और पोषणयुक्त चावल के संबंध में की गई किसी जांच अथवा गुणवत्ता जांच का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में कैंसरजनक तत्व होने के कारण कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ने की संभावना के संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 02 अगस्त, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *168 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देश भर में उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है। इसके लिए, एफएसएसएआई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से डेयरी उत्पादों, मसालों और पोषणयुक्त चावलों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित रूप से निगरानी, मॉनीटरी, निरीक्षण और औचक नमूना एकत्रण करता है ताकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में निर्धारित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानदंडों और अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा सके।

उपर्युक्त सांविधिक अपेक्षाओं के गैर-अनुपालन के मामले में, एफएसएस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दोषी एफबीओ के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने वर्ष 2011, 2016, 2018, 2020, 2022 और 2023 में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के संबंध में अखिल भारतीय निगरानी की है। एफएसएसएआई द्वारा वर्ष 2018, 2020 और 2022 में की गई दुग्ध निगरानी की रिपोर्ट www.fssai.gov.in/cms/national-surveys.php. पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की जांच/त्वरित परीक्षण के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स तैनात करने के लिए भी कहा है। एफएसएसएआई ने वर्ष 2022 में मसालों पर अखिल भारतीय निगरानी की है।

एफएसएसएआई ने राष्ट्रीय स्तर के राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम का प्रभावी कार्यान्वयन प्राप्त करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त और सुरक्षित पोषणयुक्त चावल उपलब्ध करवाने के लिए पोषणयुक्त चावल, पोषणयुक्त चावल केरेनल बनाने के लिए चावल के आटे, पोषणयुक्त चावल केरेनल, और पोषणयुक्त चावल केरेनल के लिए विटामिन - मिनरल पूर्व मिश्रण के संबंध में मानक निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने पूर्व मिश्रण तैयार करने से लेकर पोषणयुक्त चावल के उत्पादन तक पोषणयुक्त चावल के निर्माण प्रक्रिया का पता लगाने के लिए एक समर्पित पोर्टल फोरट्रेस (फोर्टिफाइड राइस ट्रेसिबिलिटी) का शुभारंभ किया है।

(ख) और (ग): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने भारत में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में कैंसरजनक तत्व होने के कारण कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ने की संभावना के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।
